राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक :–प.10(614) परि/स.सु./TMC/2019/RS-47 जयपुर, दिनांक 29.03.2019

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित यातायात प्रबंधन समिति की 10वीं बैठक दिनांक 29.03.2019 का कार्यवाही विवरण

माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश दिनांक 26.09.2018 तथा 29.01.2019 की अनुपालना के क्रम में श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति' की 10वीं बैठक दिनांक 29.03.2019 को समिति कक्ष संख्या–1, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में समस्त हितधारक विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् निम्न निर्देश दिये गये –

1. जिन हितधारक विभागों (पुलिस, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा राज्य में करायी गयी सड़क सुरक्षा ऑडिट की अनुशंसाओं की दिसम्बर, 2018 तक की अनुपालना (पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति को प्रस्तुत टाइम लाइन फ्रेम के अनुसार) अब तक प्रस्तुत नही की गयी है अथवा अपूर्ण सूचना दी गयी है, उन्हें अविलम्ब अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा सूचनाओं का संकलन कर संकलित रिपोर्ट समिति के समक्ष उनके निर्देश दिनांक 29.01.2019 द्वारा निर्धारित समयावधि अर्थात् 31.03.2019 तक प्रस्तुत की जा सके।
2. जिन हितधारक विभागों (पुलिस, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के अतिरिक्त निर्देश दिनांक 26.09.2018 की अनुपालना अब तक प्रस्तुत नहीं की गयी है अथवा अपूर्ण सूचना दी गयी है, उन्हें अविलम्ब अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा सूचनाओं का संकलन कर संकलित रिपोर्ट समिति के समक्ष निर्धारित समयावधि अर्थात् 31.03.2019 तक प्रस्तुत की जा सके।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के ट्रैफिक लाइट्स का रख रखाव स्थानीय निकाय विभाग व नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा ही कराये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

4. सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्थानीय निकाय विभाग को शहरी क्षेत्रों में फुटपाथों एवं सड़कों को अतिक्रमण व बाधा रहित बनाने की दृष्टि से विस्तृत सर्वे कराकर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।
5. भविष्य में निर्मित होने वाले फुटपाथों हेतु ठोस नीति बनाने के निर्देश दिये गये ताकि public utility के संसाधनों (यथा – बिजली/टेलीफोन के पोल, उपकरण, पेनल, गमले इत्यादि) से फुटपाथ अवरोध विहीन रहें तथा फुटपाथ आईआरसी मानको के अनुरूप हों, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा करायी गयी ऑडिट अनुशंसाओं की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।
6. सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्थानीय निकाय विभाग को शहरी क्षेत्रों में चौराहों पर वाहन चालक का ध्यान भटकाने वाले तथा दृष्टि अवरोधक डिजिटल/अन्य Dangerous होर्डिंग्स अविलम्ब हटाने के निर्देश दिये गये।
7. गुड सेमेरिटन दिशानिर्देशों को राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया।
8. मुस्कान स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा गृह तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुड सेमेरिटन दिशानिर्देश अधिसूचित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
9. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को दुर्घटना घटित होने के 48 घण्टे तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की स्कीम व उसके वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में परीक्षण कर उसे लागू कराने पर विचार करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये।
10. राज्य यातायात प्रबंधन समिति की 9वीं बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उनके विभाग में 108/104 ऐम्बुलेंस हेतु पूर्व से स्थापित कॉल सेन्टर पर सरकारी/निजी चिकित्सालयों में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की अनदेखी अथवा इलाज में लापरवाही एवं गुड सेमेरिटन गाईड लाइन्स की अवहेलना से सम्बन्धित शिकायतों को सुने जाने व उन पर समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

क्रमांक :—प.10(614) परि/स.सु./TMC/2019/RS-47 जयपुर, दिनांक 29.03.2019

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव तथा सदस्य सचिव, राज्य यातायात प्रबन्धन समिति, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, एन.एच.ए.आई., राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिडकोर, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सचिव, प्रबंधक निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी., राजस्थान, जयपुर।
17. प्रतिनिधि, मुस्कान संस्था, जयपुर।
18. प्रतिनिधि, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर।
19. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा)

Government of Rajasthan
Transport Department

Attendance Sheet for 10th TMC meeting dated 29.03.2019

S.No	Name	Designation	Department	Mob./Ph no. & E-mail	Sign
1.	KAPIL GARG	DGP, RAJASTHAN	POLICE	9571222333 dgp@rajpolice.gov.in	[signature]
2.	ROHIT K. SINGH	ACS, M&Health	→		[signature]
3.	Bhaskar Sawant	Pr. Secy UDH LSG	UDH	9929111199	[signature]
4.	DR. R. VENKATESWARAN	Pr. Secy Edcn	Education		[signature]
5.	Rajeeva Swarup	ACS Home & Transport			[signature]
6.	Veenu Gupta	ACS, PWD			[signature]
7.	Dr. Vijai Singhal	C.E, RPCB		9667575852	[signature]
8.	Umar Deen Khan	ED(T) RSRTC	Roadways	9829281900	[signature]
9.	M.K. Jain	CGM(T),1	NHAI	7073718555	[signature]
10.	[illegible]	Manager (T)	NHAI	9419213762	[signature]
11.	Manish Agarwal	Regional head, RIDCOR	RIDCOR	9413388935	[signature]

D:\road safety\TMC\meeting notice

S.No	Name	Designation	Department	Phone no. & E-mail	Sign
12.	Dr. Devendra Sharma	Deputy Director (HA) DMHS, Jaipur	Medical & Health	9414893707 addtiha@gmail.com	[signature]
13.	Dr. L. M. Pandey	SMO, Food Safety Transport Deptt	Transport	9314242191 lmpandey434@gmail.com	[signature]
14.	Nidhi Singh	Dy Commissioner Transport	Transport	9460145972 addl.tc.tds@rajasthan.gov.in	[signature]
15.	Shantanu Bhasin	Trustee, Muskaan Foundation	NGO	9829388888 bhasinshan@gmail.com	[signature]
16.	Mridul Bhasin	Trustee, Muskaan Foundation	NGO.	~~9829~~ 9414064960 Jaipurmuskaan@gmail.com	[signature]
17.	Prerna Singh	CEO, Managing Trustee, Peoples Trust JPR	NGO	9829733893 prerana.arora06@gmail.com	P Singh
18.	Raj Singh	G.S. People's Trust JPR	NGO	9829733587	[signature]
19.	Neha Khullar	MUSKAAN NGO	Director Projects	9414039166	Neha Khullar
20.	Sanjay Singh	S.A.	Transport	9414209222	[signature]
21.	Swati Dixit	MVI	Transport	9413346245	Swati
22.	Bhopal Singh.	Dy SP.	RAJ. Police	9829391111	[signature]
23.	Gopal Lal Arora	XEN (R.S.)	Transport Deptt	941314240	[signature]
24.	Suresh Pareek	EE PWD NH HQ. Jaipur	PWD (NH)	9414332139	[signature]

S.No	Name	Designation	Department	Phone no. & E-mail	Sign
25.	Rajnish Sharma	PRO	Transport	9829651807 rajnish.p3@gmail.com	[signature]
26.	Anil Vijay Vergia	XEN (Traffic)	PWD CE office	94140-41960	[signature]
27.	Satendra Kr. Mamoria	AVP	RIDCOR	9413388911	[signature]
28.	M.K. Sharma	S.E. (RS. Cell)	Transport	8949039911	[signature]
29.	B.K. Mathur	CE	DLB	9414266266	[signature]
30.	Sanjay Poonia	S.E.	UDH	9829218022	[signature]
31.	Shailendra Singh	M.V.S.I	R.S (Transport)	98871-77771	[signature]
32.	Vijay Singh meena	Town planning assistant	L.S.G.	9001687770	[signature]
33.	H.L. Atal	JS- Edu (Gr. 6)	Education	9414890094	[signature]
34.	Ghanshyam Singh (MVI)	MVI (R.S)	Transport	8696941956	[signature]
35.	Pradeep mittal	MD, RSRDC	RSRDC	7742774400	[signature]
36.					
37.					